SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ (पंजीकृत)

(Regd Under the Indian Trust Act 1982 of the Govt. of India & Govt. of U.P.)
Regd. in Niti Ayog (NGO Darpan) Govt. of India
Regd. Office : 36, S.D.M. Court, Tehsil Road, Opp. Gali No. 3, Sikandrabad, Distt. Bulandshahr-203205 (U.P.)

National President
Adv. Nitin Yadav

Sr. National General Secretary
Prof. (Dr.) Anand Singh

National General Secretary
Prof. (Dr.) Rajeev Gupta

Sr. National Vice President
Prof. (Dr.) Nidhi Shukla

National Vice President
Prof. (Dr.) Anil Sharma

National Secretary/Treasurer
Prof. (Dr.) Anshu Bansal

State President
Adv. R.P. Khaitan (U.P.)
Dr. R.P. Verma (Punjab)
Adv. G.R. Sharvan (Karnataka)
Naved Chopra (M.P.)
Rajesh Wankhede (MH.)

Vice President (U.P.)
Prof. (Dr.) Shivpal Singh
Sharad Aggarwal
Ankur Tewatia

Secretary (U.P.)
Monika Chauhan
Dr. Ajay Kumar
Rajeev Chauhan
Dr. Anil Chandel
Mayank Aggarwal
Pradeep Yadav

Executive Board Member
Dr. Gaurav Varshney
Deepak Aggarwal
Prof. (Dr.) Harish Vaish
Dr. Shikha Kaushik
Dr. Vineeta Sharma
Vishal
Vipul Jain
Manoj Bhardwaj
Jitanshu
Manoj Bhati
Surendra Bhargav
Lalit Yadav

Ref. No:-2026/01/SFCF/144 **Date:**-14.01.2026

E- Mail/ URGENT/Final Reminder

सेवा में,

कुलपति,

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषय : प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली की वैधता के संबंध में दिनांक 15.12.2025 एवं 30.12.2025 को प्रेषित पत्रों पर कोई कार्यवाही न किये जाने के संदर्भ में अंतिम अनुस्मारक (Final Reminder before Legal Action)।

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके संज्ञान में यह विषय पूर्व से विधिवत प्रस्तुत किया जा चुका है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा **नई शिक्षा नीति–2020 (NEP–2020) एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रचलित विनियमों** के लागू होने के पश्चात भी प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली के माध्यम से डिग्रियाँ प्रदान किया जाना **नियमविरुद्ध, मनमाना तथा छात्रों के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है।**

इस संदर्भ में निम्न तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है–

दिनांक **15 दिसम्बर 2025** को आपके समक्ष एक विस्तृत एवं विधिसम्मत पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली की वैधता, UGC, NEP–2020 के उल्लंघन तथा नियमित एवं प्राइवेट छात्रों के मध्य असमान शैक्षणिक मापदंडों पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज कराई गई थी। उक्त पत्र पर कोई उत्तर अथवा कार्यवाही न होने के कारण दिनांक **30 दिसम्बर 2025 को विधिवत अनुस्मारक** भी प्रेषित किया गया। खेद का विषय है कि आज तक न तो उक्त पत्रों पर कोई लिखित उत्तर प्रदान किया गया है और न ही उठाई गई आपत्तियों का कोई निराकरण किया गया है।

इसके उपरान्त समाचार पत्रों एवं मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि विश्वविद्यालय द्वारा एकेडमिक काउंसिल से प्राइवेट परीक्षा प्रणाली को जारी रखने का प्रस्ताव इस आधार पर पारित कराया गया है कि इससे ग्रामीण अंचल के छात्र प्रभावित होंगे।

14.01.26 14.01.26

Scanned with OKEN Scanner

इस संबंध में यह स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है कि–

कोई भी शैक्षणिक डिग्री, जो **विधि, UGC विनियमों एवं नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न हो**, उसे केवल इस तर्क के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता कि उससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्र प्रभावित हो सकते हैं। यह तर्क न तो संवैधानिक है और न ही विधिसंगत।

विशेष रूप से–

- **UGC Act, 1956 की धारा 22** के अंतर्गत केवल वही डिग्री वैध मानी जा सकती है जो UGC द्वारा निर्धारित मानकों एवं विनियमों के अनुरूप प्रदान की गई हो।
- **NEP–2020** में गुणवत्ता, समानता, बहु–विषयक अध्ययन तथा क्रेडिट आधारित शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है, न कि ऐसी वार्षिक/प्राइवेट व्यवस्थाओं को जो वर्तमान नियामक ढांचे से असंगत हों।
- यह तथ्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि **आपके विश्वविद्यालय में ODL (Open & Distance Learning) प्रणाली विधिवत रूप से संचालित है**, जो– ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों के लिए, UGC द्वारा मान्य, पारदर्शी, नियंत्रित एवं पूर्णतः वैधानिक विकल्प उपलब्ध कराती है।

ऐसी स्थिति में प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली को जारी रखना न तो अनिवार्य है और न ही न्यायसंगत, बल्कि यह छात्रों को भविष्य में उनकी डिग्री की वैधता से जुड़े गंभीर कानूनी जोखिम में डालने के समान है।

उपरोक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि–

- विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में उठाई गई विधिक आपत्तियों की पूर्णतः अनदेखी की गई है,
- एकेडमिक काउंसिल का निर्णय भी विधिक परीक्षण एवं **UGC,NEP–2020 के मानकों पर खरा नहीं उतरता**,
- तथा वर्तमान परिस्थितियों में विश्वविद्यालय स्तर से न्यायोचित समाधान मिलने की संभावना क्षीण प्रतीत होती है।

अतः यह पत्र आपको **"अंतिम अनुस्मारक (Final Reminder before Legal Action)"** के रूप में प्रेषित किया जा रहा है, एवं आपसे अपेक्षा की जाती है कि–

- प्राइवेट (वार्षिक) परीक्षा प्रणाली को जारी रखने का **स्पष्ट विधिक आधार**, संबंधित UGC, NEP–2020 आदेश/अनुमोदन सहित, सार्वजनिक किया जाए;

अथवा

- उक्त प्रणाली को **तत्काल प्रभाव से स्थगित/समाप्त करने का निर्णय लिया जाए**;
- तथा दिनांक 15.12.2025 एवं 30.12.2025 को प्रेषित पत्रों **पर लिखित, तर्कसंगत एवं विधिसम्मत उत्तर प्रदान किया जाए।**

SFCF FINANCE COLLEGE FEDERATION

14.01.26

14.01.26

Scanned with OKEN Scanner

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस अंतिम अनुस्मारक के उपरान्त भी कोई ठोस एवं वैधानिक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो विवश होकर यह विषय माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उपयुक्त संवैधानिक एवं विधिक कार्यवाही (Writ Petition) हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

सादर,

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. **माननीय कुलाधिपति महोदय,** राजभवन सचिवालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2. **प्रमुख सचिव,** उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
3. **कुलसचिव,** चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. **सचिव,** विवि0 अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. **सचिव,** मानव संसाधन मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग), नई दिल्ली।

14.01.26

(एड0 नितिन यादव)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रो0 (डॉ0) निधि शुक्ला
वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

14-01-26

प्रो0 (डॉ0) आनन्द सिंह
वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव

Scanned with OKEN Scanner